फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2300656

रेफरन्स नं० .... दिनांक : 26-03-07

सेवा में,

श्रीमान प्रवर पुलिस अधिक्षक महोदय,
गुड़गांव

विषय: मैसर्ज फैशन एक्सप्रेस प्लाट नम्बर 100 फेस–1, उद्योग विहार, गुडगांव के संस्थान मालिक श्री गौरव मामिक के विरूद्व महिला श्रमिकों के साथ की गई अभद्र व अश्लील हरकतों के बारे में दी गई शिकायत पर शीध्र कानुनी कार्यवाही करके गिफ्तार करने व महिला श्रमिकी / श्रमिकों की रक्षा व सुरक्षा करने बारे।

श्रीमान् जी,

प्रार्थी यूनियन सादर व विनम्र निवेदन करती है कि :–

1. यह कि उपरोक्त संस्थान के मालिक श्री गौरव मामिक ने दिनांक 21.03. 2007 को संस्थान में कार्यरत 4 महिला श्रमिकों के साथ अभ्रद और अश्लील हरकते करते हुए उनकी इज्जत व आबरू हपर हाथ डाल दिया था। इस मामले की जानकारी जब अन्य श्रमिकों / महिला श्रमिकों को मिली तो सभी ने उनकी इस प्रकार की हरकतों का विरोध करते हुए सामुहिक रूम में उनके पास गए क्योकि श्री गौरव मामिक इस प्रकार की हरकते पहले भी करते रहे है।

2. यह कि लगभग रात 8:30 बजे एस.एच.ओ. थाना उद्योग विहार गुडगांवा पुलिस कर्मियों सहित संस्थान आये और मामले की जानकारी लेने के उपरान्त कानूनी कार्यवाही का आशवासन देकर श्री गौरव मामिक को अपने

साथ ले गये - परन्तु बाद में पता चला कि उनके विरूद्व किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही किया गया है।

3. यह कि दिनांक 22.03.2007 को जब इस सवेंदनशील मामले की जानकारी गुडगांव की अन्य यूनियनों को मिली तो वह मालिक के विरूद्व तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर संस्थान गेट पर पहुंची और मामले की जानकारी लेने के उपरान्त महिला श्रमिकों के साथ धटित धटना की शिकायत लेकर एस.एच.ओ. थाना उद्योग विहार व बाद में इसकी जानकारी आपको व सी.टी.एम. साहब को दी और शीध्र कानूनी कार्यवाही करने की मांग की।

4. यह कि श्रमिकाओं द्वारा श्री गौरव मर्मिक के विरूद्व शारिरिक एवम मानसिक प्रताडना के साथ सैक्सुअल हरासमैन्ट सम्बन्धी दी गई शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य छानबीन हेतु संस्थान गेट पर पहुंची - परन्तु प्रबन्धकों ने काफी समय तक परिचय देने के बावजूद गेट के अन्दर नही धुसने दिया बाद में पुलिस कर्मचारी को परिचय देने के बाद काफी बहस के बाद अन्दर जाने दिया । उन्होने सम्बन्धित शिकायत के बारे में छानबीन की तथा वर्तमान में धटित धटना क्रम के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त एस.एच.ओ. थाना उद्योग विहार डूण्डाहेडा, गुडगांव से भी मिलकर वापिस चली गई।

5. यह कि सी.टी.एम. साहब के निर्देश अनुसार कल दिनांक 23.03.2007 को थाना उद्योग विहार, डूण्डाहेडा गुडगांव में एक मिटिंग यूनियन प्रतिनिधियों के साथ डी.एस.पी. श्री सुमित साहब, श्रम अधिकारी श्री एस.के. गुप्ता जी, श्रम निरिक्षक श्री सुरेश यादव जी, व थाना इंचार्ज श्री राजीव कुमार के

फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 230965

रेफरन्स नं० ....

दिनांक : ....

साथ सम्पन्न हुई और उन्होने यूनियन प्रतिनिधियों को शीध्र न्याय दिलाने का पूर्ण आश्वासन दिया है।

6. यह कि इसके उपरान्त पुलिस अधिकारियों ने संस्थान जाकर पीडित महिला श्रमिकों के ब्यान दर्ज कर लिये है, लेकिन अभी तक कोई आगामी कानूनी कार्यवाही अमल में नही लाई गई है।

7. यह कि इसी दौरान यह बात भी देखने को मिली है कि प्रबन्धकों ने बहुत से असमाजिक तत्व को बाहर से बुलाया हुआ है इससे पूर्व ये व्यक्ति कभी भी संस्थान में नही देखे गये थें, उनकी मौजूदगी से श्रमिकाओं व श्रमिकों में भय व आंतक का माहौल उत्पन्न हो गया है और संस्थान में एक डरावना वातावरण बना हुआ है, और किसी भी समय अप्रिय धटना धटित हो सकती है।

8. यह कि संस्थान मालिक ने अपनी कटुता एंव दुरर्भावनापूर्ण कार्यवाही को आगे बढाते हुए महिला श्रमिकों व श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे रात बिताने को विवश कर दिया है मार्मिक के इस कठोर कदम ने श्रमिकाओं की पीडा को और बढा दिया है क्योकि महिला कामकारों के लिए अपने घर परिवार व बच्चे विशेषकर छोटे बच्चो से दूर रहना कितना कठिन है इसकी पीडा केवल महिला ही समझ सकती है।

9. यह कि उपरोक्त धटना क्रम से स्पष्ट है कि संस्थान मार्मिक व प्रबन्धकों ने महिला श्रमिकों /श्रमिकों के सम्मुख शारीरिक एंवम् मानसिक प्रताडना के साथ–साथ उनके जीवन को संकटमय बना दिया है। प्रबन्धकों ने उनके सिर से छत का साया छीनने के साथ–साथ उनके लैटरिंन व बाथरूम सुविधा भी बन्द कर दी है।

फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाण), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं० ....   दिनांक : ....

10. यह कि संस्थान मालिकों व प्रबन्धकों को इस प्रकार की हरकतों से औद्योगिक श्रमिकों व यूनियन प्रतिनिधियों में भारी रोष व आक्रोश बनता जा रहा है और ये सभी औद्योगिक श्रमिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिन्ताग्रस्त है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि मामले में तत्काल हस्ताक्षेप करके दोषी मालिक के विरूद्व मुकदमा दर्ज करके गिरफतार करने के साथ–साथ महिला श्रमिकों /श्रमिकों की जानमाल की रक्षा व सुरक्षा का शीघ्र प्रबन्ध करने की कृपा करें। ताकि मजदूरों मे भय और आतंक का माहौल समाप्त हो सके । और पुलिस प्रशासन पर विश्वास की बहाली हो सके। यदि महिला श्रमिकों व अन्य श्रमिकों के साथ कोई भी अप्रिय धटना धटित होती है तो इसके लिए संस्थान मालिक व पुलिस प्रशासन स्वंय जिमेवार होगा।

हमें पूर्ण आशा है कि आप मामले में तत्काल हस्ताक्षेप करके दोषी मालिक के विरूद्व शीध्र कानूनी कार्यवाही करेगें और श्रमिकों /महिला श्रमिकों की जानमाल की सुरक्षा हेतु उचित कार्यध्वाही अमल में लाने की कृपा करेगें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

(सतबीर सिंह)

प्रधान

फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन, गुड़गांव